401

COURT FEE INDIA TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य, प्रदेश,

निग. प्र. क्र. / - निग-1423-I-16 सन् 16

रामचरन कुशवाहा तनय स्व. भूरा कुशवाहा निवासी-ढोंगा

तह. राजनगर जिला- छतरपुर म.प्र. - - --- निग. कर्ता

बनाम

मुनियां कुशवाहा पत्नी मंगल कुशवाहा निवासी ग्राम गढा तह.

राजनगर जिला- छतरपुर मप्र. ।

~~2. म.प्र. शासन~~

---- अनावेदकगण

निग. अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू. रा. सं. 1959

निगरानी विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी महो. राजनगर जिला- छतरपुर म.प्र. प्र.क्र. 21/अपी./2015 संपारित आदेश दि. 1-1-2016 बावत ।

दिनाँक 5.5.16 को श्री एस० के० ... क्रमांक द्वारा प्रस्तुत/ 5.5.16 SO

श्रीमानजी,

आवेदक/निग. कर्ता सादर निम्न प्रकार सेवा में प्रस्तुत करता है:-

1. यह कि संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि अनावेदक मुनियां पत्नी मंगल कुशवाहा नि. ग्रा. गढा तह. राजनगर ने एक अपील माननीय अनु. विभा. अधि. राजनगर केसमक्ष अपील प्रस्तुत कर यह दर्शित करते हुये कि भूमि ख. नं. 447, 728/1, 729, 730/1, 809/1, 827/1, 832/1, 833, 911/1, 913, 952/2/1, कुल किता-13 रकवा 5.521हे. स्थित ग्राम महेवा तह. राजनगर जिला- छतरपुर में उक्त भूमि भूरा कुशवाहा के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी, जिसे अनावेदक ने यह दर्शाते हुये अपील प्रस्तुत की कि उक्त भूमि उसके मृतक पिता की थी, जबकि अनावेदक भूरा की पुत्री नहीं है, और न ही इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1423-एक/2016 जिला छतरपुर

रामचरन विरूद्ध पुनियां

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	